रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112026-277810
CG-DL-E-10112026-277810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5861] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 5861] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2026

का.आ. 6094(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), दिनांक 04.08.2005 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 (नया एनएच संख्या 334) के मेरठ-मुज़फ्फरनगर खंड के किमी 52.250 से किमी 131.000 तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए(के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 2183(ई), दिनांक 06.09.2010 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-334 (पुराना एनएच-58) के मेरठ-मुज़फ्फरनगर खंड के किमी 52.250 से किमी 130.560 तक चार लेन के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 35.590 किमी [सारणी-2] के निवल सड़क खंड लंबाई के लिए और 6.540 किमी (0.654 किमी लंबाई वाली) [सारणी-4] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी-1 के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट आधार दर से तथा दस करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक लागत वाले 42.066 किमी [सारणी-3] लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्ग्रहित करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, निम्नानुसार:

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार शुल्क दर (रुपये में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.2
तीन-धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.4
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी।

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है (60 मीटर से अधिक लंबी संरचनाओं और 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपासों की लंबाई को छोड़कर)**	**दर जिस पर शुल्क देय है**
उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिले के शिवाया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग - 58) के किमी 75.990 पर	35.590	चार या उससे अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए निम्नलिखित (संरचनाओं को छोड़कर) शुल्क भी संदेय होगी:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज))	**बाईपास का नाम**	**प्रारंभ स्थान**	**विलय स्थान**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है**		**दर जिस पर शुल्क देय है**
				लंबाई (कि.मी में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिले के	मेरठ बाईपास	52.500	70.750	18.196 किमी	>10 करोड़ रुपये	चार या उससे अधिक लेन के लिए
	खतौली	92.400	101.180	8.495 किमी	>10 करोड़ रुपये	

शिवाया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग -58) के किमी 75.990 पर	बाईपास					ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	मुज़फ्फरनगर बाईपास	113.750	129.125	15.375 किमी	>10 करोड़ रुपये	
कुल बाईपास लंबाई				**42.066 किमी**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी संरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में संरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा-:

सारणी-4

शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क देय है**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिले के शिवाया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग - 58) के किमी 75.990 पर	0.654^	6.540	चार या उससे अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^60 मीटर से अधिक लंबी संरचनाओं की विवरण निम्नानुसार हैं: -

क्र.सं.	**संरचना का प्रकार**	**पक्ष**	**चेनेज (किमी)**	**डिजाइन चेनेज**		**संरचना के स्पैन की लंबाई (किमी में)**	**संरचना की लंबाई**
				से (किमी)	**तक (किमी)**		
1	आधा फ्लाइओवर	आरएचएस	70.806	70.752	70.859	0.107	0.054#
2	फ्लाइओवर	बीएचएस	71.982	71.907	72.057	0.150	0.150
3	आरओबी	एलएचएस	87.593	87.550	87.646	0.096	0.090
		आरएचएस		87.556	87.640	0.084	
4	आधा फ्लाइओवर	आरएचएस	92.575	92.500	92.650	0.150	0.075#
5	बड़े पुल	बीएचएस	95.685	95.620	95.750	0.130	0.130
6	बड़े पुल	बीएचएस	98.915	98.875	98.955	0.080	0.080
7	आधा फ्लाइओवर	आरएचएस	101.680	101.605	101.755	0.150	0.075#
कुल लंबाई							**0.654**

फ्लाइओवर की औसत लंबाई केवल आरएचएस पर मौजूद मानी गई है

4. गैरवाणिज्-यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किकी दूरी के .मी. भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000/-रुपए तीन सौ साठ रुपए) (मात्र है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाज़ा स्थित है, वहाँ पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत चलने वाले) के लिए शुल्क उस वाहन श्रेणी के निर्दिष्ट दर का (वाहनों को छोड़कर50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इसके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सभी परिभाषाएँ नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोक्ता की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी-1 में यथाउल्-लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किशुल्क की आधार दर के आधार .मी. पर यांत्रिक वाहनों से प्रभारित शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण की गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एकएक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।-

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1039.41 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, वृक्ष कटान इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. डीएलडीआईवी -20018/91/2025- पीआईयू मेरठ/ ई-268174]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2026

S.O. 6094(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1097(E) dated 04.08.2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km.52.250 to Km.131.000 of Meerut-Muzaffarnagar section of National Highway No. 58 (New NH No 334) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act,1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of user fee notification published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 2183(E) dated 06.09.2010, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section length of 35.590 Km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 6.540 Km (having length of 0.654 Km) [Table-4] and one and half times of the base rate for bypass having length of 42.066 Km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four lane of Meerut-Muzaffarnagar section from Km.52.250 to Km.130.560 of National Highway no. NH-334 (old NH-58) in the state of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, as under:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rs)**
(1)	**(2)**
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.2
Three-axle commercial vehicles	2.4
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza (s) for net road length specified for such Fee Plaza (s).

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in Km) for which fee is payable [Excluding length of Structures (>60m) and bypasses (costing ≥ Rs. 10 Cr.)]**	**Rate at which fee is payable**
At Km 75.990 of NH-334 (Old NH-58) at Shiwaya	35.590	100% for four or more lane, of

Village, Dist. Meerut in the State of Uttar Pradesh		the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length excluding structures specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3

Location of Fee Plaza (Chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Cr.)**	
At Km 75.990 of NH-334 (Old NH-58) at Shiwaya Village, Dist. Meerut in the State of Uttar Pradesh	Meerut Bypass	52.500	70.750	18.196 Km	>10 Crs	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Khatauli Bypass	92.400	101.180	8.495 Km	>10 Crs	
	Muzaffarnagar Bypass	113.750	129.125	15.375 Km	>10 Crs	
Total Bypass length				**42.066 Km**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
At Km 75.990 of NH-334 (Old NH-58) at Shiwaya Village, Dist. Meerut in the State of Uttar Pradesh	0.654^	6.540	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures^ having length more than 60m are as under: -

Sl. No	**Type of Structure**	**Side**	**Chainage (Km.)**	**Design Chainage**		**Span Length of the Structure (in km)**	**Length of structure**
				From (Km)	**To (km)**		
1	Half Flyover	RHS	70.806	70.752	70.859	0.107	0.054#
2	Flyover	BHS	71.982	71.907	72.057	0.150	0.150
3	ROB	LHS	87.593	87.550	87.646	0.096	0.090

		RHS		87.556	87.640	0.084	
4	Half Flyover	RHS	92.575	92.500	92.650	0.150	0.075#
5	Major Bridge	BHS	95.685	95.620	95.750	0.130	0.130
6	Major Bridge	BHS	98.915	98.875	98.955	0.080	0.080
7	Half Flyover	RHS	101.680	101.605	101.755	0.150	0.075#
Total length							**0.654**

Average length of flyover considered as present on RHS only

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 360.000 (Rupees Three Hundred Sixty only) for the year 2026-2027 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5

Amount Payable	**Maximum number of one- way journeys allowed**	**Period of Validity**
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overload vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in **Table-1** above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is **Rs.1039.41 Cr**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. DLDIV-20018/91/2025-PIU Meerut/ E-268174]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR